



प्रतर प्रोत्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

प्रतर प्रोत्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

प्रतर प्रोत्त पावर कारपोरेशन लिमिटेड

संख्या - 822 अम-07/पाकाति/2010-1330प्र0-07/00

दिनांक: 13 अप्रैल, 2010

कार्यालय ज्ञाप

30 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियरिटी के आकार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (जानपद) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सामुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए- आर/राविपि-01-28-एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले लगभग छः (6) सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेगे।

सभी अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
- (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रकरण न चल रहा हो।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

जानपद संवर्ग (40 प्रतिशत) सामान्य वर्ग

क्रम सं०	अवर अभियन्ता का नाम/गृह जनपद एवं पिता का नाम/जन्मतिथि/ब्रांच/वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती स्थल	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त नव तैनाती स्थल/कार्यालय	अभिज्ञान संख्या
1	वृजमोहन गौड़ पुत्र श्री डी०जी० शर्मा/ अलीगढ़/10.07.52/जानपद/140/71-78	वि०जा०पा०मं०, गुरादाबाद।	लखनऊ डिस्कॉम	201005
2	राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री पी० एस० शर्मा /बुलन्दशहर/15.01.53/जानपद/ 158/71-78	वि०जा०पा०ख०, मेरठ।	लखनऊ डिस्कॉम	201006
3	अवधेश कुमार दीक्षित पुत्र श्री एच०एस० दीक्षित/ अजमेर/05.07.53/जानपद/ 159/71-78	वि०न०वि०मं०, नोयडा।	मेरठ डिस्कॉम	201007
4	लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री डी० प्रसाद/ गोरखपुर/01.07.50/जानपद/171/71-78	वि०जा०पा०मं०, इलाहाबाद।	जा०पा०-द्वितीय	201008

- 1 सक्षम अधिकारी, तैनाती करते समय स्थानान्तरण नीति के प्रतर 2.01 के अनुसार गृह जनपद, जनपद तथा एक क्षेत्र में अधिकतम क्रमशः छः वर्ष तथा दस वर्ष के प्रतिबन्ध के अधीन तैनाती किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 2 उपर्युक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि यथा 15.05.2010 तक कार्यभार ग्रहण कार्य करना अनिवार्य है, तत्पश्चात उपरोक्त प्रोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

प्रतर प्रोत्त

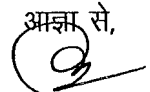
प्रतर प्रोत्त

अपर प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2 प्रबन्ध निदेशक, मेरठ विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
- 3 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4 मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का लगभग 06 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
- 5 मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-1/2), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6 अधीक्षण अभियन्ता वि0जान0पारे0मं0, इलाहाबाद/मुसदाबाद।
- 7 अधिशाषी अभियन्ता, वि0जा0पा0खं0, मेरठ।
- 8 उपसचिव, अ0प्र0-04 उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9 लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 10 अधिशाषी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11 अनुभाग अधिकारी, अ0प्र0-04/गोपन अनुभाग, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12 संबंधित अधिकारीगण।
- 13 गार्ड फाइल/कट फाइल।



आज्ञा से,

(बी0बी0श्रीवास्तव)
उपसचिव
